

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी

1. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
2. डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 11 अक्टूबर, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना" हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के प्रस्तावों का परीक्षण एक्सपर्ट पैनल से कराया गया। अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-266/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 28.06.2021 एवं पत्र संख्या-363/रा०उ०शि०प०/4/10 II, दिनांक 26.08.2021 द्वारा एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयीं। उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी एक्सपर्ट पैनल की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित विवरण के अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत रु० 79,67,500/- (रुपये उन्यासी लाख सड़सठ हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

क्र०	को-ऑर्डिनेटर का नाम	विषय	संस्तुत धनराशि का मदवार विवरण	
			मद	धनराशि
1	2	3	4	5
1	जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया			
1.1	Dr. Anil Kumar (Department of Sociology)	Empowering women from Weaker Sections of Ballia District through Vocational Skills	सेलरीज/होनोररियम	150000
			उपकरण	200000
			टी०ए०/डी०ए० फोर विजिटिंग फैकल्टी	150000
			कम्प्यूटेशन एवं स्टेशनरी	50000
			आकस्मिकता	25000
			योग	575000
2	डॉ० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ			
2.1	Dr. Sanjay Singh (Department of Sociology)	Status of the Forest Communities in the State of Uttar Pradesh (A sample of three forest divisions, one each from eastern, central and western Uttar Pradesh will be selected for the present Study)	फील्ड वर्क स्टडी	210000
			फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	270000
			सेमिनार	110000
			योग	590000
3	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
	Dr. Tanu Dang (Department	Centre for Rural Communication and	रिसर्च असिस्टेंट	200000

3.1	of Journalism and Communication)	Development (CRCD)	टेक्निकल असिस्टेंट	150000
			यात्रा	40000
			डाटा प्रोसेसिंग	40000
			स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग	50000
			बुकस एवं जर्नल्स	40000
			आकस्मिकता	25000
			अन्य डिपॉजिट सर्विस, साफ्टवेयर खरीद, टेक्निकल ट्रेनिंग	50000
			योग	595000
3.2	Dr. Neeraj Shukla (Department of Commerce)	Entrepreneurship and Skill Development Programs with special Reference to Youth in Uttar Pradesh	ग्रामिण स्टाफ	200000
			इन्टरप्रिन्डोरशिप अवसर	50000
			प्रशिक्षण	
			फील्ड वर्क	50000
			उपकरण एवं पब्लिकेशन	50000
			आकस्मिकता	25000
			योग	375000
			3.3	Prof. (Dr.) Syed Haider Ali (Department of Business Administration)
आकस्मिकता	25000			
उपभोग्य सामग्री	50000			
फील्ड वर्क	25000			
योग	300000			
4	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ			
4.1	Dr. Shraddha Chandra (Department of Public Administration)	Role of PHC-CHC in Women Healthcare (A Comparative Study of Hilly Plain Areas)	लेक्चरर सेसन	150000
			फील्ड वर्क	100000
			डिवाइस, साफ्टवेयर एण्ड आई(टी)	100000
			पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स, डाटाबेस, पेपर्स आदि	50000
			बुकस एण्ड पर्चेज	50000
			स्टेशनरी एण्ड आकस्मिकता	50000
			बर्कशाप	50000
			योग	550000
4.2	Dr. Suchit Swaroop (Department of Zoology)	Effect of Cigarette Smoking on Oxidative Stress and Lung Health in COVID-19 era.	उपभोग्य सामग्री	300000
			आकस्मिकता	50000
			सेमिनार/बर्कशाप	100000
			मेन्टोनेस	100000
			योग	550000
4.3	Dr. M. Serajuddin (Department of Zoology)	Development and Standardization of Induced Breeding Techniques for Seed Production of Commercially Important Freshwater fish, Channa Punctatus	शोध सहायक	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	25000
			बुनियादी आवश्यकता: मिनी हेचरी, प्लास्टिक पूल, एक्वेरिया आदि	150000
			योग	380000
4.4	Dr. Geetanjali Mishra (Department of Zoology)	Ecofriendly Agriculture by Augmentation of Ladybird Beetles	अनावृत्ती अनुदान	300000
			शोध सहायक	200000

			आकस्मिकता	25000
			उपभोज्य सामग्री	25000
			यात्रा	12500
			योग	562500
4.5	Dr. Jyotsna Singh (Department of Physics)	Renewable Energy (solar PV Water Pumping System Testing Lab in Uttar Pradesh)	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	450000
4.6	Prof. N.K. Pandey (Department of Physics)	Fabrication and characterization of P-n heterojunction composites and their enhanced gas sensing properties	उपकरण	150000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	450000
4.7	Dr. Rajesh Kumar Tewari (Department of Botany)	Improvement of functional iron status in Cereals through biochemical interventions	उपकरण	100000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा एवं पुस्तकें	50000
			आकस्मिकता	50000
			योग	400000
4.8	Dr. Kusum Yadav (Department of Biochemistry)	Use of Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) for nutraceutical enhancement in pearl millet (<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.)	उपकरण	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			जूनियर रिसर्च फेलो	200000
			आकस्मिकता	50000
			यात्रा	25000
			योग	425000
4.9	Dr. Sangeeta Saha (Department of Business administration)	Research and Management of Human Resource in Organized and Unorganized Sector	उपकरण	100000
			उपभोज्य सामग्री	20000
			शोध सहायक	200000
			यात्रा	50000
			होस्टलिंग सर्विस	20000
			आकस्मिकता	25000
			योग	415000
4.10	Dr. Ashok Kumar Singh (Department of Chemistry)	Targeted Syntheses of Novel Transition Metal Complexes as Myriad Array of Metal-Based Drugs	कम्प्यूटेशनल सर्वर	100000
			उपभोज्य सामग्री	50000
			मैन फ्रेम	200000
			आकस्मिकता	25000
			यात्रा	50000
			योग	425000
5	प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भव्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज			
5.1	Prof. Vivek Kumar Singh (Department of Centre	Community	रिसर्च एसोसिएट	100000

	for Social work)	Development and livelihood in Prayagraj Region	डिजिटल सर्विस	50000
			फील्ड वर्क, ट्रेवल एण्ड अलावन्स	25000
			डाटा प्रोसेसिंग	50000
			आकस्मिकता	25000
			प्रकरण	150000
			बुक एण्ड जर्नल	50000
			योग	450000
6	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ			
6.1	Dr. Mukesh Kumar Sharma (Department of Mathematics)	Fuzzy/Intuitionistic Transportation and Transshipments in context of Computational Artificial Intelligence	उपभोग्य सामग्री	50000
			पैन पानर	300000
			आकस्मिकता	25000
			रजिस्ट्रेशन	50000
			यात्रा	50000
			योग	475000
कुल योग				7967500

- (1) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर आदि/यात्रा व्यय एवं डाटा कलेक्शन आदि/आकस्मिक व्यय पर किया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने के पूर्व कुल स्वीकृत धनराशि का उक्त मदों में मदवार फांट का अनुमोदन विश्वविद्यालय के कुलपति से प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (2) प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
- (3) योजनांतर्गत पूर्व में स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या वित्तीय वर्षवार शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) सेंटर आफ एक्सीलेंस योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँ उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
- (5) एक्सपर्ट पैनल द्वारा परियोजना प्रस्ताव का किये गये परीक्षण/मूल्यांकन की प्रति संलग्न है।
- (6) धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उक्त का वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
- (7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

- (9) इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 - (10) उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 - (11) इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 - (12) इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्तें लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
 - (13) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोड़कर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
- 2- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-49-सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

 (अब्दुल समद)
 विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. संबंधित, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (एस0पी0 मिश्र),
 अनु सचिव